राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4193/2008

जीतेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल जैन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी कोटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार के सचिव के माध्यम से राज्य स्थानीय निकाय विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. आयुक्त (मुख्यालय), नगर परिषद कोटा
3. निदेशक, पेंशन ज्योति नगर, जयपुर

----प्रत्यार्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	: श्री अश्वनी चौबीसा
प्रत्यार्थी (गण) की ओर से	: श्री बी.के.शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>19/08/2023</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1\. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ याचिका दायर की गई है:-

> "अतः, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को अनुमति दी जाए और माननीय न्यायालय मामले के पूरे रिकॉर्ड को मंगवाया जाए और:-
>
> (i) परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करके प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के संपूर्ण पेंशन लाभ 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया जाए।
>
> (ii) सर्टिओरारी रिट या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करके आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.9.2007 को यह उल्लेख करते हुए कि लेखा-परीक्षा आपत्ति के निपटान तक पेंशन जारी

नहीं की जा सकती, रद्द कर दिया जाए।

(iii) उचित रिट या निर्देश जारी करके आयुक्त, नगर निगम द्वारा याचिकाकर्ता से अतिरिक्त किराया वसूलने के आदेश दिनांक 11.9.2007 को रद्द किया जाए।

(iv) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

(v) रिट याचिका की लागत कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 26.09.2006 के आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई। अधिवक्ता का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद आज तक याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2003 में लेखा-परीक्षा निरीक्षण टीम द्वारा आपत्ति ली गई थी कि याचिकाकर्ता को अनियमित वेतनमान दिया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थीगण ने भी 05.03.2004 को उक्त आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को कोई अनियमित वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया था और उक्त लेखा-परीक्षा पैरा को हटाने का अनुरोध किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त के बावजूद, आज तक याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। अतः, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त लेखा-परीक्षा आपत्ति के कारण, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आवासीय परिसर में लंबे समय तक रहा और उसने उचित किराया नहीं चुकाया है, जिसके लिए उसे वर्ष 2007 में एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उपरोक्त के बावजूद, वह बकाया किराया और बकाया जमा करने में विफल रहा है और यह भी एक था जिन कारणों से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति देय का भुगतान नहीं किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप

की आवश्यकता नहीं है।

4. बार में की गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. माना जाता है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी और अर्हक सेवाएं पूरी करने के बाद, उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई थी और उसे दिनांक 26.09.2006 के आदेश के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले प्रत्यर्थीगण के कार्यालय में एक लेखा-परीक्षा की गई थी जिसमें लेखा-परीक्षा टीम द्वारा कुछ आपत्तियां की गई थीं कि याचिकाकर्ता को अनियमित वेतनमान दिया गया था। रिकॉर्ड आगे इंगित करता है कि उक्त आपत्ति का उत्तर प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त वेतनमान के भुगतान के लिए उनकी कार्रवाई को उचित ठहराते हुए दिया गया था और दिनांक 05.03.2004 के पत्र के माध्यम से लेखापरीक्षा अधिकारी से उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति को हटाने का अनुरोध किया गया था। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 11.09.2007 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को रुपये का बकाया किराया 24,795/- जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने उक्त राशि जमा नहीं की है और प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता का पूरा सेवानिवृत्ति बकाया रोक लिया है। जहां तक याचिकाकर्ता को वेतनमान के भुगतान में अनियमितता के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा की गई आपत्ति का प्रश्न है, प्रत्यर्थीगण का मानना है कि लेखा-परीक्षा द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति तर्कसंगत नहीं है और प्रत्यर्थीगण द्वारा एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया है। संबंधित अधिकारी, अतः इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण के पास याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने का कोई अधिकार नहीं था। अब अगला प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी केवल इस बहाने से याचिकाकर्ता को संपूर्ण सेवानिवृत्ति बकाया देने से इनकार कर सकते हैं कि नोटिस प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा कुछ बकाया किराया का भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाये से बकाया किराया राशि की वसूली कर सकते थे, लेकिन किसी भी मामले में उनके पास पूरे सेवानिवृत्ति बकाये को रोकने का कोई अधिकार नहीं था और प्रत्यर्थीगण की ऐसी कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है।

7.   उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सभी सेवानिवृत्ति देय राशि 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देने के साथ तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है।

8.   यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंतिम भुगतान करते समय सेवानिवृत्त देय राशि से देय किराया राशि काट सकते हैं।

9.   सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) का भी निपटारा किया जाता है।

10.   इस आदेश से पृथक होने से पहले यह न्यायालय राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की स्थिति पर नाराजगी जता रहा है। वे इन मामलों को इतने अनौपचारिक तरीके से ले रहे हैं और कर्मचारियों को वर्षों से सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का भुगतान करने का कष्ट नहीं उठा रहे हैं और इसके कारण अदालतों में सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया से संबंधित हजारों मामलों की बाढ़ आ गई है।

11.   इस न्यायालय के **पास दयाचंद आर्य बनाम राजस्थान सरकार** के मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा उनकी मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के बाद का बकाया पाने के लिए सहे गए दर्द और यातना को महसूस करने का अवसर है। एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12010/2020 और उक्त याचिका का निर्णय निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया गया:-

> "राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए यह काफी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि वर्ष 2018 में मृतक-याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बावजूद, पांच वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य-प्रत्यर्थियों के अधिकारियों ने मृतक याचिकाकर्ता को वर्ष 2020 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, लेकिन शक्तिशाली राज्य सरकार-प्रत्यर्थियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी लड़ाई हारकर, मृतक-याचिकाकर्ता ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने बहरे की तरह अपने कान बंद रखे। इसके बाद, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया गया।
>
> यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला और न ही कोई विभागीय जांच लंबित थी, अत:

याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने के लिए राज्य-प्रत्यर्थियों के पास कोई कारण उपलब्ध नहीं था। राज्य-प्रत्यर्थियों का ऐसा मनमाना कृत्य उच्चस्तरीय है और इस न्यायालय द्वारा इसकी निंदा की जाती है। यह प्रत्यर्थीगण का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी अपेक्षित औपचारिकता को पूरा करने में कोई चूक हुई थी। जब याचिकाकर्ता का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के कार्यालयों में उपलब्ध था, तो याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति देयों को पांच वर्ष से अधिक समय तक रोकने का कोई कारण नहीं था।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पेंशन और ग्रेच्युटी पुरस्कार नहीं हैं। एक कर्मचारी ये लाभ अपनी लंबी, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा से अर्जित करता है। **देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार सरकार** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **(1971) 2 एससीसी** 330 में आधिकारिक तौर पर निर्णय सुनाया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का पात्र है। आगे यह माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं है। अधिकारी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अतः नहीं मिलता क्योंकि प्राधिकारी के किसी आदेश की आवश्यकता होती है, बल्कि वैधानिक नियमों के आधार पर उसे प्राप्त होता है। **पंजाब सरकार बनाम इकबाल सिंह (1976) 2 एससीसी** 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी और यह माना गया है कि "इस प्रकार यह एक कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को मिलता है और "संपत्ति" की प्रकृति में है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।"

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (संक्षेप में '1996 के नियम') का अध्याय-VI पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के निर्धारण और प्राधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। 1996 के नियमों का नियम 78

सेवानिवृत्ति के कारण सरकारी सेवकों की सूची तैयार करने के प्रावधानों से संबंधित है। नियम 80 पेंशन कागजात की तैयारी से संबंधित है और नियम 81 और 82 पेंशन कागजात के चरणों और पूरा होने से संबंधित हैं। इसी प्रकार नियम 83, 84 और 85 पेंशन विभाग द्वारा पेंशन कागजात से निपटने और पेंशन जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं और यदि कोई देरी होती है, तो पेंशनभोगी पेंशनऔर 1996 के नियमों के नियम 89 के तहत ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का पात्र है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और 1996 के नियमों के सुसंगत दृष्टिकोण को देखते हुए, यह एक दोपअर्थात के दिन की तरह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जैसे किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देय को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि दस्तावेज़ किसी भी विभाग को प्राप्त नहीं हुए थे। अन्य विभाग. प्रत्यर्थीगण को यह आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता की आवश्यक फ़ाइल और कागज न भेजने में किसी प्राधिकारी द्वारा देरी हुई थी, प्रतिवादी/प्राधिकरण की ओर से ऐसी कार्रवाई निराधार और वस्तुतः मनमानी, अवैध और कानून के विपरीत है।

12. इसके अलावा, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (संक्षेप में '1996 के नियम') का अध्याय-VI पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के निर्धारण और प्राधिकार के प्रावधानों से संबंधित है। 1996 के नियमों का नियम 78 सेवानिवृत्ति के कारण सरकारी सेवकों की सूची तैयार करने के प्रावधानों से संबंधित है। नियम 80 पेंशन कागजात की तैयारी से संबंधित है और नियम 81 और 82 पेंशन कागजात के चरणों और पूरा होने से संबंधित हैं। त्वरित संदर्भ के लिए 1996 के नियमों के नियम 78 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"78. **सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूची तैयार करना**

(1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष को अर्थात छह महीने में, यानी अर्थात वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को उन सभी सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करनी होगी जो उस तारीख के अगले 24 से 30 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान को उस वर्ष की 31 जनवरी या 31 जुलाई, जैसा भी मामला हो, से पहले उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, कार्यालय प्रमुख को ऐसी सेवानिवृत्ति के तथ्य ज्ञात होते ही तुरंत निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान को सूचित करना होगा।

(4) उप नियम (3) के तहत कार्यालय प्रमुख द्वारा निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान को भेजी गई सूचना की एक प्रति निदेशक संपदा, जयपुर और संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी पृष्ठांकित की जाएगी यदि संबंधित कर्मचारी सरकारी आवास का आवंटी है।"

13. 1996 के नियमों के अध्याय VI का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रत्येक नियम के तहत निहित प्रावधान अनिवार्य हैं और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रावधानों और प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करें।

14. प्रतिवादी राज्य के सभी विभागों के दोषी अधिकारियों के सुस्त और अनुचित रवैये को देखते हुए, यह न्यायालय राज्य के सभी विभागों को सभी अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए एक सामान्य परमादेश जारी करना उचित मानता है। 1996 के नियम के अध्याय VI के तहत निर्धारित समय के भीतर अनावश्यक देरी न करें और पेंशन और सभी सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान तुरंत करें। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर मूल विभाग के साथ-साथ पेंशन विभाग के दोषी अधिकारी को इस आदेश के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के सेवानिवृत्ति के बाद के उचित दावे के भुगतान में उन्हें अनावश्यक देरी के लिए अपनी जेब से भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

15. इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव और पेंशन विभाग के निदेशक को भेजी जाये। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और अपने विभाग और दोषी अधिकारियों को ऐसी मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने और वहन करने से बचाने के लिए ऊपर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुपालन के लिए इस आदेश की प्रति सभी विभागों के प्रमुखों को प्रसारित करें।

16. मुख्य सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे दो महीने की अवधि के भीतर इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और 16.10.2023 को या उससे पहले इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

17. इस आदेश के अनुपालन की जाँच के लिए इस मामले को 16.10.2023 को सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढांड, न्यायमूर्ति)

Ashu/43/pcg

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।